

DET. LT. DANIEL,
DEPARTMENT OF POLICE
AT 145, SCHAFFER STREET
SECURITY POLICE
INTERVIEW NO. 2491

144 PROBLEMS

“प्रकृष्ट 26”

(नियम ४का देखिए)

22. Mrs. Carolyn P. Fish
who is known by..... Advocate.
Advocate of the United States 105
and District of Columbia.



AMERICAN RUSTICATION
THEATRICAL COMPANY

• 1974 • 63 • 1000-1009

३। - पाटलिपुत्र

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपर्याप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भारत-का

मैं कुँदन प्रसाद सिंह **पुत्र/पुत्री/मत्ती आश्रवत प्रसाद सिंह
 आयु 57 क्ष. जो मोहल्ला - कदमकुँआ, पुराना भरविंग सहिला
 कॉलेज के ऊपरे, पोर्ट - कदमकुँआ, जिला - पट्टना, पित - १८५०३ (बिहार)

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निवाचन से असही हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं—

(1) मैं श्राम आदमी पार्टी (**राजनीतिक दल का नाम) हासा खड़ा किया गया असर्थी / **एक-सबह-अभ्यासी के रूप में सुल रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) गोरा नाम कुम्हरार (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राजा का नाम) में भाग से 36
के भाग से 847 पर प्रविष्ट हैं।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ९३०८६९४३७९ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) Kundanfe

www.Cognition.com...8 |

४३१८-१

(4) स्थाई लेखा रांख्याक (प्रैन) के बौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिधिति :

क्रम सं.	नाम	प्रैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित बुल आय (रुपए में)
1.	संवय कुन्दन प्रसाद सिंह	AIVPS 3921 K	2013-14	2,16,049/-
2.	पति या पत्नी शोभा देवी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लघित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारबास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता कले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभियाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लघित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारबास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है

(क)	मामला/प्रथम रूसना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्लौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्जान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप लगाया गया है, जिसके विवरण की गई	शून्य



(इ)	तारीख (तारीख) जिनको आरोप किरचित किए गए थे	सूची
(ब)	वथा सभी या कोई कार्यकारी किसी सक्रम अधिकारिता याले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं	सूची

(ii) निम्नलिखित मामलो (मामले) गेरे विरुद्ध लिखित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्णकृत]

मदद (i) में बर्णित मामलो से भिन्न):-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	सूची
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	सूची
(ग)	पूर्णकृत आदेश (आदेश) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्योरे	सूची

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या संधिक फे लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलो में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्योरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	सूची
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश दंडादेश (दंडादेशों) की तारीख (तारीखों)	सूची

(ग)	अधिरूपित दंड	शुन्थे
(घ)	क्या सिद्धदोष उहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथ्मिति	शुन्थे

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जांगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे भी ये देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 — संयुक्त रखागित्य की सीधा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 — जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, रकम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3. — सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिकेंचरों का मूल्य रटोंक एवं स्वेच्छाओं में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और ऐर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 — यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 — रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकलया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित ~ 1	आश्रित ~ 2	आश्रित ~ 3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/-	40,000/-	शुन्थे	शुन्थे	शुन्थे
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खत्ते भी है), वित्तीय संस्थाओं, ऐर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम			अनुलूप्ति के 'ए' पर संलग्न		
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों में अन्य में बंधपत्रों, बिनेशर शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और			शुन्थे	शुन्थे	शुन्थे



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, वीमा पालिसीयों में विनिधान के और और डाकघर या वीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, च्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अद्वितीय और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(vi)	मोटरसान/वायुयान/साट/पोत (ग्रेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि द्वाय करने का वर्ष और रकम)	अनुलेखक 'दी' पर संलग्न				
(vii)	जेवरत्त, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के बारे)	अनुलेखक 'सी' पर संलग्न				
(viii)	कोई अन्य आस्तिया जैसे कि दादों/हित का मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ix)	साग्रह कुल मूल्य	10,83,000/-	1,90,000/-	60,000/-	शुद्ध	शुद्ध
आ. रथवर आस्तियों के बारे						

टिप्पण 1-- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2-- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया दर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	रद्दय	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवधिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल भाष्ट) वया विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) रसायनिक संपत्ति की दशा में काम्यकी तरीख काम्यकी भूमि की लागत (काम्यकी दशा में)	लेपरा जँडौ में 10 भाष्टों ने लिंगाजित विहरा धारान्तरमें 1 एकड़	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
		हां	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
		शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध

	विकास, संनियोग आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	शुभ	शुद्ध	शुत्र	शुत्र	शुत्र
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	15 लाख	शुद्ध	शुत्र	शुत्र	शुत्र
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवरिथिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुभ	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विकास संनियोग आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	अनुगानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(iii)	वर्णियक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिथिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विकास, संनियोग आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनियोग	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
147	वासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिथिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	बद्रगंडा एवं लोहागढ़ीपुर 148, 163 शहर - 208	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2000 वर्ग फु.	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध




विविध सेक्टर (जो कुट मे कुल मध्य)	1000 लक्ज फु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत मे आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा मे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, संविधान आदि के लाभ्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुगमित चालू बाजार मूल्य	20 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति मे हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI) पूर्वोक्त (I) से (V) का कुल धालू बाजार मूल्य	35 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मे, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बारे नीचे देता है :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमे प्रत्येक के समक्ष रकम के बारे का पृथक विवरण दे)

क्र० सं०	विवरण	संबंध	पति या पत्नी	आवृत्ति -1	आवृत्ति -2	आवृत्ति -3
(I)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किनी अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आयास से बरताने वाले विभागों को शोध्य कृपया अपत्ति से बरताने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



विद्युत आपूर्ति से वरतने वाले विभाग को शोध्य टेलीफोन/गोबाइल आपूर्ति से वरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी परिवहन (वायुसंन और हेलिकाप्टर सहित) से वरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका / सपति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रियंकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) कम कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्निलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लिखित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के बारे :

(क) रव्य... कृषि एवं ठेकड़ीय

(ख) वसि या पत्ती... गृहियी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

- मैट्रिक - बी.एन.कॉलेजिएट, पटना - बी.एस.ई.बी.पटना - वर्ष 1975
- इण्टरमीडिएट - कामर्स कॉलेज, पटना - भगवा चूतीवसियी - वर्ष 1977
- प्राइवेट पाठ्यलय लाइसेन्स - पटना पालाईड ईक्याइटीएच, पटना - डाक्टरेटोरियल जैनरल शिविल (प्रगाणपत्र/डिस्ट्रोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुत का सल्लोख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)




पार्षद-ख

(1) भाष-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उच्चहरण

1	अध्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कुम कुन्दन प्रसाद सिंह			
2	डाक का पता	मोहल्ला एवं घोस २ - कटमकुआ, पुराना अरतिनद गढ़िता कोलोन के जगते जिला - पटना, पिन - ११०००३ (बिहार)			
3	भिविचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	उ। - पाटलिपुत्र, बिहार			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अध्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	डाम आकमी पार्टी			
5	(i) ऐसे लवित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष वा अधिक के कारबाहस से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष उहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारबाहा रो और दंडित किया गया है। (लोक प्रशिभित्व अधिनियम 1951 की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य			
7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शीत आय	
	(क) अध्यर्थी कुन्दन प्रसाद सिंह	AIVPS ३९२७K	2013-14	2,16,049/-	
	(ख) पति या पत्नी श्रीमा देवी	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ग) आश्रित जैना सिंह	शून्य	शून्य	शून्य	
8	आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे (रूपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियां (कुल राशि)	10,83,000/-	1,90,000/-	60,000/-	शून्य
					शून्य
					शून्य

खंड	रथावर आस्तियां	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
1.	रथअर्जित रथावर संपत्ति की ग्रन्थ कीमत	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
II.	क्रय के पश्चात् रथावर संपत्ति की विकास/रसनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बजार कीमत (क) रथअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
9	दायित्व	35 लाख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
10	ऐसे दायित्व जो वियादावधि है					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध



11

उच्चतम शैक्षिक अहंता :

इंटरमीडिएट - कोर्सर्स कॉलेज, पट्टना - मानव व्यवस्थाएँ - तिथि । १८८

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिप्लोमा के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वरतु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी लातिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की गद 5 और 6 में उल्लिखित दोषरिद्धि का मामला या लंबित मामले से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी घटि या घटी या मेरे आवृत्तों के पास उपर भाग क की गद 7 और 8 संधा भाग ख की गद 9, 9 और 10 में उल्लिखित आरित या दायित्व से मिन्न कोई आरित या दायित्व नहीं है।

अज्ञ तारीख २२.६.२०१४ को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

b. Identify the deponent
who has signed above
in my presence

टिप्पणी 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कगिशनर या प्रथम वर्ग अजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी अदिक्षित के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई रखंग खाली न छोड़े, यदि किसी गद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "रूच्य" या "लगू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4. शपथपत्र टकित या सुपारायरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

१९८६७

टिप्पणी - 5 मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) रख्या 121--2008 में रिसर्ज़ेरा इडिया बनाम भारत निवायिन आधीम एवं अन्य, के भागाले में अस्थर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अस्थर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी रत्नमों को भरा जाना है। कोई भी रत्नम् खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते सभय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी रत्नम् भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अस्थर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में उपलब्ध कराने हेतु स्पार देंगे। मानवीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी गद में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्पार देंगे। मानवीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी गद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे रत्नम् में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अस्थर्थी स्पार दिये जाने के बाद भी रत्नम् को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के साथ नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी- 6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं..... ९३०८६९४३७९

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है Kundanforrakul@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

टिप्पणी-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी वैकों/संस्थाओं में जगा/निवेश सहित सूचना दें।

